न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी।

उपस्थित–श्री अशोक कुमार दुबे–प्रथम (उच्चतर न्यायिक सेवा)

फौजदारी निगरानी सं०–08/2024

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–08/2024

CNR No– UPLP–0100–0789–2024

बेचन आयु लगभग 54 वर्ष पुत्र कीढी निवासी ग्राम –नौरंगपुर, पोस्ट–अदलीसपुर, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी,

....**निगरानीकर्ता।**

बनाम

1–सरकार उ०प्र० द्वारा जिलाधिकारी महोदय लखीमपुर खीरी,

2–रामपाल आयु लगभग 45 वर्ष हरद्वारीलाल निवासी ग्राम बोझिया, थाना–ईसानगर, जिला–खीरी,

3–लालता प्रसाद आयु लगभग 60 वर्ष पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम हसनापुर, थाना–ईसानगर, जिला–खीरी, **... ... ... .प्रत्यर्थीगण।**

"निर्णय"

1– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा धारा–397 द०प्र०सं० के अन्तर्गत, प्रकीर्ण दाण्डिक वाद सं०–305/2023, सत्यनरायन यादव बनाम अनीता देवी जायसवाल आदि , अंतर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं०, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी में न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं०–7 लखीमपुर खीरी (जिसे आगे विद्वान मजिस्ट्रेट से संबोधित किया जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांकित–19.12.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने निगरानीकर्ता/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है।

2– वर्तमान दाण्डिक निगरानी के समुचित निस्तारण हेतु सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा –156(3)दं०प्र०सं० इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि–"*प्रार्थी निवासी ग्राम नौरंगपुर थाना ईसानगर जिला खीरी का निवासी है। प्रार्थी गाटा सं०–1039 व गाटा सं०–1038 का संक्रमणीय भूमिधर है उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 भाग व प्रार्थी के भाई बृजकिशोर का 1/2 भाग है। बृजकिशोर की लावलद मृत्यु लगभग 15 वर्ष पूर्व हो गयी थी। बृजकिशोर की पत्नी जगराना बृजकिशोर की बीमारी की अवस्था में ही छोड़ कर चली गयी थी। जगराना ने अपना पुर्न विवाह राजेश नामक व्यक्ति के साथ कर लिया था तथा राजेश व जगराना से संयोग से सन्तानों की उत्पत्ति हुई। हरद्वारी पुत्र छुटकऊ निवासी ग्राम बोझिया थाना ईसानगर व लालता प्रसाद पुत्र गंगाराम निवासी हसनापुर थाना ईसानगर जिला खीरी ने धोखा देकर चुपके से जगराना को ले जाकर हरद्वारी ने बैनामा करा लिया जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान सिविल जज लखीमपुर के न्यायालय में बैनामा निरस्तीकरण का वाद व उन्वान बेचन बनाम हरद्वारी लाल संस्थित किया गया है उक्त वाद में हरद्वारी लाल ने प्रार्थी पर दबाव किया कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है तो अदालत में मेरी बेइज़्ज़ती न करो तथा बृजकिशोर का हिस्सा जो मैंने लिया है उस पर तुम्हारा ही कब्जा व दखल बना रहेगा चूंकि लालता प्रसाद ने जगराना से भूमि क्रय की थी जगराना चूंकि हरिजन है। इसलिए लालता प्रसाद ने बैनामा प्रार्थी के नाम हरिजन होने के कारण करा दिया था तथा प्रार्थी तुम्हारा नाम बृजकिशोर है के हिस्से का बैनामा जो जगराना ने किया है। वह तुम्हारे नाम करा दूंगा, धीरे–धीरे लालता प्रसाद का पैसा लालता प्रसाद को अदा कर देना। प्रार्थी ने नेक नियत से विश्वास किया परन्तु हरद्वारी लाल तब अरसा करीब 5–6 वर्ष में मृत्यु हो गयी रामपाल पुत्र हरद्वारी ने कहा कि मैं वरासत होने पर पैसा लेकर बैनामा तुम्हारे नाम करूंगा। विपक्षी रामपाल ने धीरे–धीरे प्रार्थी से 10 लाख रूपये ले चुके हैं तथा उक्त साजिश में लालता प्रसाद पुत्र गंगाराम भी शामिल है। प्रार्थी ने*

जब रामपाल से बैनामा करने के लिए कहा तो रामपाल लालता प्रसाद के बहकावे में आकर दिनांक 04.11.2023 को प्रातः 10 बजे रामपाल से बैनामा करने को कहा तो रामपाल लालता के बहकावे में आकर बैनामा करने से मना कर दिया तथा हीला हवाला व टाल मटोल करते रहे प्रार्थी द्वारा कईबार पंचायत करायी गयी तब भी रामपाल ने आज कल आज कल करके बैनामा करने को कहा परन्तु पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने के पश्चात भी बैनामा नहीं करा रहे हैं। प्रार्थी को अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि रामपाल व लालता प्रसाद उपरोक्त ने प्रार्थी के साथ विश्वास घात व धोखा धड़ी करके प्रार्थी का 10 लाख रू० हड़प कर गये हैं। प्रार्थी के गन्ने का पैसा व बैंक से लिया गया ऋण तथा काफी नकद पैसा दिया गया है जो कि लगभग 10 लाख रू० हो गया है प्रार्थी के साथ धोखा धड़ी अभियुक्त के द्वारा की गयी है। प्रार्थी ने इस प्रकरण के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष महोदय थाना ईसानगर को प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं न होने पर दिनांक 06.11.2023 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय को पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया तथा मा० मुख्यमंत्री महोदय को आनलाइन प्रार्थना पत्र आर०टी०जी०एस० के माध्यम से भेजा फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब प्रार्थी विवश होकर न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र न्याय पाने हेतु प्रस्तुत कर रहा है।"

3– विद्वान मजिस्ट्रेट ने निगरानीकर्ता/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थाने से आख्या आहूत की और सुनवाई करते हुए निगरानीकर्ता/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित किया, जिससे क्षुब्ध होकर <u>निगरानीकर्ता/प्रार्थी ने इन आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की है कि</u>–*अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का व प्रार्थना पत्र का अवलोकन नही किया एवं सरसरी तौर पर निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है इसलिए आलौच्य आदेश 19.12.2023 विधि विरूद्ध है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से अपराधिक न्यास भंग एवं धोखा धड़ी संज्ञेय अपराध होना सिद्ध होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग न करके महान भूल की है इसलिए आलौच्य आदेश दिनांक 19.12.2023 अपरास्तेय है। अधीनस्थ न्यायालय ने थाने से प्रस्तुत आख्या में तो पाया कि कोई अभियोग घटना के संम्बन्ध में थाने में पंजीकृत नही है जब कि थाना ईसानगर प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर 154 सीआर०पी०सी० का अनुपालन नही किया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी ध्यान दिया इसलिए आलोच्य आदेश दिनांकित–19.12.2023 विधि विरूद्ध है एवं खण्डित किये जाने योग्य है। पुलिस अधीक्षक महोदय लखीमपुर खीरी को प्रार्थना पत्र रजि० डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया है जो कि 154 (2) सीआर०पी०सी० का अनुपालन है तद् प्रश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा भी अभियोग थाने में पंजीकृत नही कराया गया न ही विवेचना करायी गयी इसलिए 156 (3) सीआर०पी०सी० के अंन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश पारित करना चाहिए था परन्तु ऐसा न करके अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विहित क्षेत्राधिकार का उपयोग नही किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांकित–19.12.2022 निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने सीआर०पी०सी० की धारा 2 (डी) के प्राविधान का अनुपालन नही किया है चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र से संज्ञेय अपराध का अभिकथन है एवं साक्ष्य निगरानीकर्ता को प्रस्तुत करना है। ऐसी स्थित में निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र को परिवाद में भी न दर्ज करके निरस्त करने की विधिक त्रुटि की है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 19.12.2023 निरस्त किये जाने योग्य है। एवं निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। निगरानीकर्ताकी निगरानी स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश 19.12.2023 खण्डित करके निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करने की कृपा करें।, ताकि न्याय हो सके।"*

4– निगरानीकर्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र के समर्थन में फेहरिस्त क 5 के साथ मूल प्रति प्रमाणित नकल संबंधित न्यायालय एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

5– <u>प्रत्यर्थीगण सं०–2 व 3 की उपस्थित आये एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि–</u>*भूमि मौजा अदलीस पुर परगना फिरोजा बाद तहसील धौरहरा जिला खीरी की गाटा सख्या 1038 व 1039 का उत्तर दाता कम 01 राजस्व अभिलेखो में दर्ज कागाजात है। उत्तरदाता कम 1 के पिता हरद्धारी लाल पुत्र छोटकऊ ने यह भूमि निगरानीकर्ता के सगे भाई ब्रज किशोर की पत्नी जगराना से बैनामा पूर्ण पतिफल*

देकर करवाया था तथा उत्तरदाता कम 1 के पिता हरद्धारी पुत्र छोटकउ का निधन होने के बाद उत्तरदाता कम 01 के नाम वरासतन दर्ज कागाजत हुई, निगरानीकर्ता से उत्तरदाता की कोई भी बात चीत व लेन देन भूमि विकी की बाबत नही हुई निगरानीकर्ता ने उत्तरदाता गण को केवल हैरान व परेशान करने की नियत से उत्तरदाता गण के विरूद्ध झूठे एवं मनगढन्त तथ्यो के आधार पर विचारण न्यायालय में 156(3) सी आर पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो विचारण दि० 19–12–23 को निरस्त कर दिया गया क्योकि न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता ने कोई भी सबूत रूपयो का लेन देन का प्रस्तुत नही किया था तथा वाद सिविल प्रकृति का था विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि० 19–12–23 को पूर्ण तथा विधिक है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी कतई निरस्त किये जाने योग्य है। निरगानी कर्ता का यह कथन पूर्णतया असत्य है कि निगरानीकर्ता ने उत्तरदाता कम 1 को दस लाख रूप्ये भूमि विकय की बाबत दिया है, इतनी बढी रकम बिना किसी अनुबन्ध या किसी भी प्रकार की पंजीकृत या गैर पंजीकृत लिखा पढी के दिया जाना सम्भव नही है कि कोई भी व्यक्ति इतनी बडी रकम देगा उसके बाबत कोई पंजीकृत या गैर पंजीकृत लिखा पढी या अनुबन्ध या विकी रसीद नही लिखायेगा, अतएव विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रार्थना पत्र निरस्ती करण दि० 19–12–23 पूर्णतया विधिक है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीकर्ता उत्तरदाता सं०– 1 से केवल इसी बात की रंजिश मानता है कि निगरानीकर्ता अपने भाई ब्रज किशोर की बेवा पत्नी से जबरन बैनामा करवाना चाहता था परन्तु जगराना ने बैनामा उत्तरदाता कमन के के पिता से पूर्ण प्रतिफल बेकर उत्तरदाता कम 01 के पिता के हक में निष्पादित कर दिया था तभी से निगरानीकर्ता उत्तरदाता कम 1 तथा पिता हरद्धारी लाल के नाराज है तथा झूठे एंव मनगढन्त आधारो पर झूठे मुकदमें प्रस्तुत कर उत्तरदाता को हैरान व परेशान करता रहा है। निगरानीकर्ता का यह भी कथन पूर्णतया गैर कानूनी है कि थाने के भार साधक अधिकारी को 154 सी आर पी सी तथा पुलिस अधीक्षक महोदय, खीरी के 154(2)सी.आर.पी.सी. का अनुपालन तथा विचारण न्यायालय को 156(3)सी.आर.पी.सी. या सी.आर.पी.सी. की धारा 2(D) का अनुपालन करना चाहिए थे परन्तु नही किया गया क्योकि जब तक विचारण न्यायालय में वादी प्रार्थी अपने कथन के समर्थन में कोई ठोस सबूत दाखिल नही करता है तब तक केवल मौखिक कथन के आधार पर उपरोक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा धारा –156(3)सी.आर.पी.सी. या 2(D) सी.आर.पी.सी. के अर्न्तगत आदेश पारित नही किया जा सकता अतएव विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का 156(3)सी.आर.पी.सी. का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना पूर्णतया विधिक है तथा उसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी उपरोक्त निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 19–2–23 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी बलहीन है, उसमें कोई भी बल नही है, न ही कोई भूमि विकी की बाबत कोई बात चीत उत्तरदाता गण से निगरानीकर्ता की नही हुई है, न ही कोई लेन देन रूपयो का हुआ है, न ही कोई बिक्री रसीद या अनुबन्ध निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में दाखिल है, न ही विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया था महज जगराना की भूमि जबरन बैनामा न करा पाने के कारण निगरानीकर्ता त्तरदातागण से रंजिश मानता रहा है तथा हैरान व परेशान करता चला आ रहा है। निगरानीकर्ता का प्रकरण सिविल प्रकृति का है ,जिससे प्रस्तुत निगरानी पूर्णतया अवैध तथा हर हाल में निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी न्यायहित में निरस्त किया जाना अति आवश्यक है, यदि निगरानीकर्ता की बेबुनियाद झूठे तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत निगरानी निरस्त नही की गयी ,तो निगरानीकर्ता को झूठे मुकदमें में फंसाकर प्रार्थी की जमीन हडप करने में कामयाब हो जायेगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया का हनन होगा तथा समाज में यह कुरीति फैल जायेगी कि झूठे आधारो पर सीधे सीधे खातेदारो की भूमि झूठे मुकदमें में फसाकर आसानी से हडप की जा सकती है। झूठे एवं निराधार तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत निगरानी उपरोक्त निरस्त करने की कृपा की जावे, जिससे न्याय मिल सके।"

6– प्रत्यर्थीगण उपरोक्त की ओर से फेहरिस्त 12ख के माध्यम से नकल वाद पत्र, न्यायालय सिविल जज(जू०डि), लखीमपुर खीरी, प्रा०दी०वाद सं०–1476/2023 प्रस्तुत की गयी है। प्रत्यर्थीगण की ओर से विधि व्यवस्था मा०उच्चतम न्यायालय मनोज महावीर प्रसाद खेतान बनाम रामगोपाल पोद्दार एव अन्य (दाण्डिक अपील सं०–1973/2010) दिनांकित 08.10.2010, प्रस्तुत की गयी है।

7– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी, विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

8– मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके अवलोकन से विदित है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि– ***"परिवादी का कथन है कि वह गाटा संख्या 1039 व गाटा संख्या 1038 का संक्रमणीय भूमिधर है जिसमें परिवादी व उसके भाई बृजकिशोर का आधा–आधा भाग है, परन्तु परिवादी द्वारा उक्त गाटा संख्या से सम्बन्धित अद्यतन प्रमाणित प्रपत्र भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। विपक्षीगण पर लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा कोई भी प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गये हैं। प्रार्थना पत्र में कथित लेन–देन के सम्बन्ध में भी ऐसा कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विपक्षी को कोई धन आवेदक द्वारा दिया गया है। प्रार्थना पत्र द्वारा यह स्पष्ट है कि यह मामला पूर्णतया सिविल प्रकृति का वाद है। प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के आधार पर कोई भी संज्ञेय अपराध का होना प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।***

<u>निष्कर्ष</u>

9– परिवाद के अनुसार परिवादी ने दस लाख रूपये विपक्षी को देना कहा है और यह कहा है कि बैनामा नहीं कर रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि–पक्षों के मध्य मामला सिविल प्रकृति का है। आवेदक द्वारा गाटा सं० –1039 व गाटा सं०–1038 का संक्रमणीय भूमिधर है, जिसमें परिवादी का आधा हिस्सा है। परन्तु परिवादी द्वारा उक्त गाटा से संबंधित अद्यतन प्रमाणित प्रपत्र भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। विपक्षीगण द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में आवेदक द्वारा कोई भी प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, न ही ऐसा को प्रपत्र प्रस्तुत किया है, जिसस यह स्पष्ट हो कि विपक्षी को धन आवेदक द्वारा दिया गया हो। मामला पूर्णतया सिविल प्रकृति का है।

10– मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया और यह पाया गया कि परिवादी द्वारा परिवाद के प्रस्तर–1, 2, 3, 4, 5 में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि विपक्षीगण द्वारा उसने साथ कोई आपराधिक कृत्य किया हो। मात्र यह कहा है कि दस लाख रूपये लेकर बैनामा नहीं कर रहा है। परिवादी द्वारा विपक्षी को बैनामा करने हेतु दस लाख रूपये दिया जाना कहा गया है, यदि विपक्षी बैनामा नहीं कर रहा है तो उसके लिये उपचार उपलब्ध है। अतः विद्वान विचारण द्वारा दिया गया यह अभिमत कि मामला पूर्णतया सिविल प्रकृति का है, पूर्णतया विधि सम्मत है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है एवं विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत फौजदारी निगरानी सं०–08/2024, बेंचन बनाम स्टेट आदि, निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 19.12.2023 पुष्ट किया जाता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली विचारण न्यायालय को मय आदेश के साथ वापस की जावे। प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार की जावे।

(अशोक कुमार दुबे–प्रथम)
दिनांक–08.07.2026 **प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,**
लखीमपुर–खीरी।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया

(अशोक कुमार दुबे–प्रथम)
दिनांक–08.07.2026 **प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,**
लखीमपुर–खीरी।
JO Code UP 6081

Digitally signed by ASHOK KUMAR DUBEY
Date: 2026.07.09 19:06:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court